उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2026 | ₹ 20/-

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

- छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नाटो छोड़ने की धमकी
- इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा
- अमेरिकी आयोग द्वारा आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध की मांग

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित 04
छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित 07
सर्वोच्च न्यायालय ने वंदे मातरम से जुड़ी याचिका खारिज की 09
अमेरिकी आयोग द्वारा आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध की मांग 12
इकबाल, जिन्ना और सर सैयद को पाठ्यक्रम से हटाने की सिफारिश 16

विश्व

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नाटो छोड़ने की धमकी 18
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर छिड़ी जंग 21
जर्मनी में हमास के चार आतंकवादियों को सजा 23
दक्षिण अफ्रीका में मस्जिद के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी 24
अजरबैजान और पाकिस्तान की मिसाइल परियोजना की जासूसी पर सजा 24

पश्चिम एशिया

अमेरिका द्वारा ईरान पर बड़े हमले की तैयारी 26
इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा 28
मस्जिद अल-अक्सा 35 दिनों से बंद 30
इजरायल पर हूतियों का बड़ा हमला 31
अमेरिकी राजदूत का श्रीलंका दौरा 32

सारांश

गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गुजरात विधानसभा में इस विधेयक पर सात घंटे से अधिक चली बहस के बाद इसे बहुमत से पारित किया गया। खास बात यह है कि आदिवासियों को इस कानून से मुक्त रखा गया है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। हाल ही में असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगर असम में भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो वहां भी यूसीसी लागू किया जाएगा। मुस्लिम संगठनों द्वारा यूसीसी लागू करने का कड़ा विरोध किया जा रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को अदालत में चुनौती देने की घोषणा कर चुका है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने प्रलोभन, धमकी और विवाह का लालच देकर कराए जाने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक व्यापक विधेयक पारित किया है। इस कानून के तहत अवैध धर्मांतरण के दोषियों के लिए सात से 10 साल की कैद और न्यूनतम 15 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर पीड़ित महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है तो सजा 10 से 20 साल और जुर्माना न्यूनतम 10 लाख रुपये होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

ईद के मौके पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के प्रयास विफल हो गए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान हवाई सीमा का उल्लंघन कर बस्तियों पर बमबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सेना ने सीमा पर स्थित एक दर्जन से अधिक चौकियों पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों को जारी रखने की घोषणा की है।

अमेरिका ने आशा की थी कि ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद वह आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां तक कि ईरान अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक होकर इजरायल और अमेरिकी हितों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी योजनाओं की विफलता के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने आगामी दिनों में ईरान पर भीषण जमीनी हमले की चेतावनी देते हुए उसे 'पाषाण युग' में भेजने की घोषणा की है।

दूसरी ओर, इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है। हूती प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले नहीं रूके तो वे इस क्षेत्र में स्थित उनके सैन्य अड्डों को निशाना बनाएंगे। जानकारों का मानना है कि हूतियों के इस युद्ध में पूरी तरह से भाग लेने से संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि वे यमन से इजरायल और सऊदी अरब दोनों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं।

इस्लामी इतिहास में पहली बार इजरायली सेना ने एक महीने से अधिक समय से मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल-अक्सा के दरवाजे बंद कर रखे हैं। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने या ईद के मौके पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी गई है। इजरायल द्वारा इस महत्त्वपूर्ण मस्जिद की तालाबंदी का अरब देशों ने कड़ा विरोध किया है।

राष्ट्रीय

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

उर्दू टाइम्स (25 मार्च) के अनुसार गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की यह नीति है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून लागू किया जाए। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार संसद को दिशा-निर्देश दे चुका है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने इस क्रांतिकारी कदम के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उनके सहयोगी मंत्रियों को बधाई दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात विधानसभा में इस विधेयक पर साढ़े सात घंटे तक लंबी बहस हुई। इसके बाद मतदान के माध्यम से इसे बहुमत से मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया। गौरतलब है कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इससे पहले फरवरी 2024 में उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 मार्च) के अनुसार सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि इस कानून का सबसे मजबूत पक्ष महिलाओं का सशक्तिकरण है। इसमें हलाला और बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, इसमें अल्पसंख्यकों को अपने रिश्तेदारों में शादी की प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इस विधेयक का लक्ष्य किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। पटेल ने कहा कि हलाला प्रथा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सदन में हुई चर्चा में भाजपा विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस विधेयक के पारित होने से मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें समान अधिकार मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें बाल विवाह और तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिलेगी। खास बात यह है कि यह कानून गुजरात

की 15 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या पर लागू नहीं होगा। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आदिवासियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना समानता के अधिकार के खिलाफ है। विपक्षी सदस्यों ने इस बात की भी आलोचना की कि विधेयक को तैयार करने से पहले अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से किसी तरह का विचार-विमर्श नहीं किया गया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस कानून को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो संपत्ति में माता-पिता, बच्चों और पत्नी का बराबर हिस्सा होगा। राज्य में अब शादी, उत्तराधिकार और अन्य दीवानी मामलों में सभी धर्म के लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे।

इस कानून के लागू होने के बाद प्रत्येक विवाह के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करवाता तो उसका विवाह अवैध माना जाएगा और उसे 10 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना देना होगा। इस कानून के अनुसार पुराने विवाहों के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर संबंधित व्यक्तियों की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उन्हें इस संबंध के बारे में अभिभावकों को सूचित करना होगा। लिव-इन का पंजीकरण करवाने के लिए 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के लिव-इन रिलेशनशिप में एक महीने से अधिक समय तक रहता है तो उसे तीन महीने की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा हो सकती है। इस संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनन वैध माना जाएगा। अगर कोई पुरुष लिव-इन में रहने वाली महिला को छोड़ देता है तो वह महिला उससे गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार होगी।

राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों से जुड़े पुराने निजी कानून रद्द माने जाएंगे। अब उत्पीड़न, धर्मांतरण, पागलपन या सात साल तक लापता रहने जैसे आधारों पर ही तलाक मांगा जा सकेगा। अगर पति-पत्नी एक साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं तो वे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। अदालत द्वारा तलाक का आदेश दिए जाने के बाद संबंधित पक्षों को 60 दिनों के भीतर इसे रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इस कानून के तहत बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।

कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने इसे मुस्लिम विरोधी विधेयक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कि इस विधेयक के जरिए सरकार ने मुसलमानों के पर्सनल लॉ में असंवैधानिक हस्तक्षेप किया है। खेड़ावाला ने चेतावनी दी है कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

हमारा समाज (28 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित यूसीसी विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा

कि यह विधेयक मुसलमानों के शरिया कानूनों में सरकार का अनुचित हस्तक्षेप है। मदनी ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में मुसलमानों को यह गारंटी दी गई थी कि सरकार या अदालत उनके शरिया कानूनों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने घोषणा की कि इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए वकीलों का एक विशेष पैनल तैयार किया गया है।

अवधनामा (4 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू करने की कड़ी आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि दोनों राज्य सरकारों का यह फैसला संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। संपादकीय में तर्क दिया गया है कि जहां तक यूसीसी के बारे में संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों का सवाल है, अदालतें किसी विधानसभा को इसके लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकतीं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। भारतीय संविधान की धारा 44 के तहत अगर कोई कानून पारित किया जाता है तो वह राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हाल ही में गुजरात विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ है, वह न तो पूरे देश में लागू है और न ही राज्य के सभी वर्गों पर समान रूप से प्रभावी है। ऐसे में इस कानून को पूर्ण रूप से समान नागरिक संहिता कहना जनता को गुमराह करने जैसा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आश्वासन दिया था कि कोई भी कानून देश के नागरिकों पर जबरन नहीं थोपा जाएगा और उसे लागू करने से पहले जनता की राय ली जाएगी। इसी सिद्धांत के तहत 21वें और 22वें विधि आयोग ने जनता से विचार मांगे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आयोग के सामने पेश होकर इसका विरोध किया और अपने दावे के समर्थन में देश के साढ़े चार करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी प्रस्तुत किए थे। इसके बाद विधि आयोग ने स्पष्ट किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में यूसीसी लागू करना न तो आवश्यक है और न ही उचित। समाचारपत्र ने चिंता प्रकट की है कि उत्तराखंड में लागू कानून इस्लामिक शरिया के निकाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। पर्सनल लॉ में सरकार का हस्तक्षेप अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं, गुजरात के कानून में न सिर्फ धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है, बल्कि शरिया के अनुसार आचरण करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

खेदजनक बात यह है कि मुसलमानों पर हिंदुओं के धार्मिक रीति-रिवाजों को जबरन थोपा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बहुविवाह पर प्रतिबंध, करीबी रिश्तेदारों के बीच निकाह को गैर-कानूनी घोषित करना और तलाक व उत्तराधिकार के इस्लामी मूल्यों पर प्रहार करना इसके मुख्य बिंदू हैं। यही कारण है कि मुस्लिम

पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बोर्ड का मानना है कि यह कानून आगामी चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है। 12 मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि इस कानून की वैधता की जांच संविधान विशेषज्ञों से करवाई जाए, क्योंकि यह 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट का सीधा उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित

इंकलाब (21 मार्च) के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में गहन चर्चा के बाद 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026' पारित कर दिया गया है। सरकार ने इस विधेयक को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस द्वारा किए गए वॉकआउट की कड़ी आलोचना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने इस चर्चा में हिस्सा लेने के बजाय सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटबैंक की राजनीति कर रही है और उसे राष्ट्रीय हितों से कोई सरोकार नहीं है। शर्मा ने दावा किया कि 1968 में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए पारित किए गए कानून में ही वर्तमान स्थितियों के अनुरूप संशोधन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पुराना कानून त्रुटिपूर्ण था। यही कारण है कि अवैध धर्मांतरण की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान कानून अधिक सख्त और स्पष्ट है, जिससे ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

इस कानून के तहत अवैध धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर सात से 10 साल तक के कारावास और कम-से-कम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अगर धर्मांतरण किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति का कराया जाता है तो दोषी को 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा और भी सख्त है,

जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम-से-कम 25 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बलपूर्वक, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में विधेयक पारित होते ही भाजपा के विधायकों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। वहीं, विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना था कि इस विधेयक को पारित करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ-साथ सभी दलों के विधायकों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया कि इस विधेयक के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग समय पर 50 बैठकें आयोजित की गई थीं।

इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पूर्व में अवैध धर्मांतरण के मामले में दोषी साबित हो चुका है और सजा काट चुका है, लेकिन वह पुनः इसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अवैध धर्मांतरण की प्रक्रिया में सहायक बनता है तो उसे न्यूनतम छह महीने से अधिकतम तीन साल तक की जेल और दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्वेच्छा से धर्मांतरण करने के इच्छुक व्यक्ति को कम-से-कम 60 दिन पहले जिलाधिकारी को आवेदन देना अनिवार्य होगा। यह नियम न सिर्फ धर्म बदलने वाले व्यक्ति पर, बल्कि धर्मांतरण का अनुष्ठान कराने वाले पादरियों और मौलवियों पर भी लागू होगा। उन्हें भी दो महीने पहले प्रशासन को सूचित करना होगा। अगर बिना सूचना के धर्मांतरण कराया गया तो उसे अवैध माना जाएगा और दोषी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।

इस विधेयक में 'प्रलोभन', 'उत्पीड़न', 'दुर्व्यपदेशन', 'सामूहिक धर्मांतरण' और 'डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण' जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। विधेयक के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे, जिनकी सुनवाई विशेष अदालतों में की जाएगी। इस विधेयक में 'लव जिहाद' को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई विवाह सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है तो अदालत उस विवाह को अमान्य करार दे सकती है। विवाह के इच्छुक जोड़ों को 60 दिन पूर्व जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी, जिसकी जांच स्वयं जिलाधिकारी करेंगे। सरकार ने धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर कोई संस्था प्रलोभन या सामूहिक धर्मांतरण में संलिप्त पाई जाती है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा, जहां इन मामलों का निपटारा छह महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा।

पृष्ठभूमिः वर्तमान में देश के नौ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून प्रभावी हैं, जिनमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल

प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। छतीसगढ़ में इस कानून को सख्त बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों विशेष रूप से बस्तर, जशपुर और रायगढ़ में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर आदिवासियों के विभिन्न गुटों के बीच कई बार हिंसक संघर्ष भी हो चुका है। उल्लेखनीय है कि 2021 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या लगभग तीन करोड़ आंकी गई थी, जिनमें से 93 प्रतिशत हिंदू, 2.02 प्रतिशत मुस्लिम, 1.92 प्रतिशत ईसाई, 0.27 प्रतिशत सिख, 0.27 प्रतिशत बौद्ध और शेष अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 900 गिरजाघर हैं। राज्य का पहला गिरजाघर 1868 में निर्मित हुआ था। वहीं, जशपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक गिरजाघर है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने वंदे मातरम से जुड़ी याचिका खारिज की

इंकलाब (26 मार्च) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को अनिवार्य रूप से गाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए जारी गृह मंत्रालय के निर्देश अनिवार्य नहीं, बल्कि केवल परामर्श हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी परिपत्र को चुनौती देने वाली यह याचिका समय से पहले दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि गृह मंत्रालय के इस परिपत्र में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह केवल एक दिशा-निर्देश है और इसका पालन करना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तब अदालत इस मामले पर विचार करेगी।

गौरतलब है कि यह याचिका मुंबई स्थित रजा एकेडमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी द्वारा दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायाल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए नूरी ने कहा कि

"भले ही हमारी याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि वंदे मातरम का गायन अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है।"

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम के सभी छंदों का वादन किया जाएगा। इस दौरान मौजूद सभी लोगों को वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा होना होगा। याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने अदालत में तर्क दिया कि भले ही इस निर्देश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इस परिपत्र की आड़ में वंदे मातरम गाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि जो लोग इसे नहीं गाएंगे उनके साथ भेदभाव की संभावना बनी रहेगी। हेगड़े ने दलील दी कि उन लोगों को भी वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो धार्मिक कारणों से इसके विरोध में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान से पहले गाना अनिवार्य किया गया है, जिससे राष्ट्रगान का महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के रूप में हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में राष्ट्रीय गीत का तीन मिनट 10 सेकंड तक गायन हुआ, जिसके कारण राष्ट्रगान 'जन गण मन' के महत्व पर प्रभाव पड़ा।

बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति यह तर्क देता है कि राष्ट्रभक्ति सबके लिए अनिवार्य नहीं है उसे ऐसी याचिका दायर करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस पर संजय हेगड़े ने कहा कि यह परिपत्र महज एक दिखावा है, जबकि संविधान सभी के लिए समान है और वह किसी की व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा पर निर्भर नहीं करता। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर सरकार राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य बनाती तब वकील के तर्कों में कोई वजन हो सकता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परिपत्र में न तो वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है और न ही इसे न गाने पर किसी दंड का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे एक प्रोटोकॉल बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का संदेह आधारहीन है, क्योंकि अभी तक भेदभाव की कोई ठोस स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में राष्ट्रीय गीत न गाने पर किसी प्रकार की सजा दी जाती है या भेदभाव होता है तब आप अदालत की शरण में आ सकते हैं। इसके बाद खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

हमारा समाज (26 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया है कि वंदे मातरम का गायन इस्लामी सिद्धांत 'तौहीद' के विरुद्ध है, इसलिए दुनिया की कोई भी शक्ति मुसलमानों को वंदे मातरम गाने के लिए विवश नहीं कर सकती। मदनी ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और उसके अनुसार आचरण करने का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने जोर

देकर कहा कि सरकार को किसी भी नागरिक की आस्था और धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

उर्दू टाइम्स (26 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गृह मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के सभी छह छंदों के गायन के संबंध में जारी निर्देश अनिवार्य नहीं हैं। अदालत के अनुसार यह सिर्फ एक प्रकार का परामर्श है। अदालत ने साफ किया है कि देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है और किसी भी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। समाचारपत्र ने तर्क दिया है कि वंदे मातरम में हिंदू देवी-देवताओं की वंदना की गई है, जबकि इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत या वंदना वर्जित है। अदालत के इस स्पष्टीकरण से वंदे मातरम को लेकर उपजा विवाद फिलहाल तो शांत हो गया है और इससे मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, मुसलमानों के मन में अब भी भय व्याप्त है। इसका कारण यह है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे उनकी सुरक्षा के संबंध में अदालत ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को भविष्य में ऐसा कोई आदेश जारी न करने का निर्देश भी नहीं दिया है, जो किसी की धार्मिक आस्था के विरुद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार को मौजूदा आदेश वापस लेने के लिए भी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि मुंबई महानगरपालिका की सभी बैठकों के प्रारंभ में वंदे मातरम का गायन किया जाता है और इसके सम्मान में सभी पार्षदों को खड़ा होना पड़ता है, जिनमें मुस्लिम पार्षद भी शामिल होते हैं। संपादकीय के अनुसार अदालत को यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि जो इसे गाना चाहते हैं वे गाएं और जो नहीं गाना चाहते हैं उन्हें अपने स्थान पर बैठे रहने की अनुमति हो। संपादकीय में आशंका जताई गई है कि अगर कोई पार्षद ऐसा करता है और अपने स्थान पर बैठा रहता है तो उस पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा। हालांकि, वंदे मातरम न तो राष्ट्रगान है और न ही इसे उस स्तर की कानूनी मान्यता प्राप्त है। समाचारपत्र के अनुसार इसमें कुछ ऐसे शब्द (कुफ्र) हैं, जो मुसलमानों के ईमान के विरुद्ध हैं, इसलिए कोई भी सच्चा मुसलमान इसका गायन नहीं कर सकता।

हिंदुस्तान (27 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमान वंदे मातरम का प्रारंभ से ही विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि यह गीत उनकी बुनियादी आस्था के विरुद्ध है। हकीकत यह है कि सत्तारूढ़ दल मुस्लिम विरोध की राजनीति के कारण इस गीत को उन पर जबरन थोपना चाहता है। भाजपा ने अचानक इस मुद्दे को इससे पहले उसने इस विवादित राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में लंबी चर्चा करवाई थी। वंदे मातरम के मुद्दे को जानबूझकर ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इस मुद्दे के माध्यम से यह साबित करना चाहती है कि वही एकमात्र राष्ट्रवादी दल है।

समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने बांग्लाभाषी लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी

द्वारा रचित इस गीत को सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। वास्तव में वंदे मातरम में हिंदू देवी-देवताओं की वंदना की गई है, जो मुसलमानों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय इसे पढ़ने से इनकार करता है और भाजपा इसी का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। समाचारपत्र का दावा है कि संविधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब सिर्फ प्रारंभिक दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाने की सहमति बनी थी, लेकिन अब भाजपा बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पूरे गीत के अनिवार्य गायन का मुद्दा उठा रही है। हकीकत यह है कि 'भगवा परिवार' अपने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को परोक्ष रूप से सभी देशवासियों पर थोपना चाहता है।

अमेरिकी आयोग द्वारा आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध की मांग

सियासत (17 मार्च) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का निरंतर उल्लंघन हो रहा है, जिससे स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने साल 2025 में कई ऐसे कानून बनाए हैं, जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। इन कानूनों के जरिए अल्पसंख्यकों के उपासना स्थलों और अन्य संस्थानों को निशाना बनाया गया है। सरकार अतिवादी हिंदुओं द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों पर मूकदर्शक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों को व्यापक पैमाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी नागरिकता भी छिनी जा रही है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सैकड़ों बांग्लाभाषी मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हुए असम से निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। संसद द्वारा पारित वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की प्रबंध समितियों में गैर-मुसलमानों को भी शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि आरएसएस और रॉ से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थानों की संपत्तियों को फ्रीज किया जाए और उनके अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

उर्दू टाइम्स (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिकी आयोग ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की जो सिफारिश की है, वह बिल्कुल उचित है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक स्थिति का जो उल्लेख किया गया है, वह कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। रिपोर्ट में

न सिर्फ आरएसएस, बल्कि रॉ को भी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषी ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से मांग की गई है कि भारत को 'विशेष चिंता वाले देश' (सीपीसी) के रूप में नामित किया जाए।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ निरंतर होने वाली ज्यादतियों पर विश्व स्तर पर बारिकी से नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि इस आयोग ने आरएसएस और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। समाचारपत्र के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे सख्त विधान बनाकर अल्पसंख्यकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि आज पूरा भारत धार्मिक नफरत की आग में झुलस रहा है और देश में सामाजिक न्याय का नामोनिशान नहीं बचा है। न्याय तंत्र दिन-प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। यही कारण है कि अनैतिक और राजनीतिक अपराधियों को जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होती और वे जमानत पर रिहा होकर सामाजिक ताने-बाने व समरसता को चुनौती देते रहते हैं। इसके विपरीत निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में पेशेवर, वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई लोग बिना मुकदमा चले पिछले पांच सालों से जेलों में बंद हैं। इन लोगों ने 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था।

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बना रही है। भारत के 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। इन कानूनों की आड़ में अल्पसंख्यकों को सख्त सजाएं दी जा रही हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक

समरसता और समानता की भावना का उल्लंघन है।

हिंदुस्तान (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ऐसे समय में जब आरएसएस भारत का मालिक बना हुआ है, अगर इसके बावजूद कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है तो हिंदुत्ववादी विचारधारा के समर्थक तत्वों का उत्तेजित होना निश्चित है। हालांकि, यह पहला अवसर नहीं है जब किसी अमेरिकी संगठन ने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले भी अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह की दर्जनों रिपोर्टें जारी की हैं। समाचारपत्र के अनुसार एक ऐसा देश जो स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता हो फिर भी वहां के अल्पसंख्यक असुरक्षा का शिकार हों तो यह एक बहुत गंभीर सवाल बन जाता है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत में गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। देश में धार्मिक नफरत का संगठित ढांचा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में विकसित हो रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि वास्तविक सवाल यह नहीं है कि एक अमेरिकी आयोग ने क्या कहा है या उसकी मांगों को कार्यान्वित किया जाएगा या नहीं, बल्कि वास्तविक सवाल यह है कि भारत के संवैधानिक आश्वासनों और जमीनी हकीकत के बीच इतनी गहरी खाई क्यों पैदा हो रही है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार लगातार यह दावा करती है कि इस देश में सबके लिए समान न्याय और समान विकास की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण न मिले, विरोधियों को वर्षों तक जेलों में बंद रखा जाए और नफरत की राजनीति को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो तो फिर लोकतंत्र केवल एक नारा बनकर रह जाता है। समय आ गया है कि भारत सरकार इस आलोचना को विदेशी साजिश करार देकर खारिज करने के बजाय गंभीरता से उस पर विचार करे, क्योंकि जब न्याय व्यवस्था निष्पक्ष नजर नहीं आती तो समाज में भय और अविश्वास की भावना बढ़ती है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।

हमारा समाज (18 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिकी संगठन यूएससीआईआरएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर मंडराते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। इसमें पहली बार हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस और भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने वास्तव में आरएसएस से संबंधित व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? हकीकत यह है कि अभी तक वहां की सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध यही अभियान जारी रहा और मुसलमानों पर

इसी तरह हमले होते रहे तो अमरिका और अन्य देशों को इन मांगों को लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिकी आयोग की यह मांग अपने आप में असाधारण है, क्योंकि आरएसएस भारत का एक अत्यंत प्रभावशाली संगठन है। वर्तमान सरकार के साथ उसके वैचारिक संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक प्रशिक्षण भी इसी संगठन के दायरे में हुआ है। यही कारण है कि जब इस संगठन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते हैं तो उसकी लपेट में सरकार की नीतियां भी आ जाती हैं। अमेरिकी आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारत को 'कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (सीपीसी) अर्थात् विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया जाएगा। अगर भारत इस सूची में शामिल हो जाता है तो अमेरिका भारत को सैन्य हथियार और रक्षा उपकरण नहीं बेच सकेगा।

दूसरी ओर, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह रिपोर्ट भ्रामक और पक्षपाती है। सरकार के अनुसार भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां के संविधान में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सरकार का यह भी दावा है कि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो समाज सेवा और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कार्य करता है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह अमेरिकी आयोग अमेरिकी संसद की निगरानी में कार्य करता है और वहां नियुक्त विशेषज्ञ किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाली हर ज्यादती का संज्ञान लेते हैं। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ किस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं और उन पर होने वाले उत्पीड़न के पीछे कौन से संगठन सक्रिय हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि सवाल यह है कि अगर दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों के विश्वसनीय संगठन निरंतर एक ही तरह की चिंता प्रकट कर रहे हैं तो क्या उन्हें नजरअंदाज करना उचित है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश की सरकार की साख सिर्फ उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति से ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के प्रति उसके व्यवहार और दृष्टिकोण से भी आंकी जाती है। यह भी एक हकीकत है कि दुनिया में किसी भी देश के बारे में रिपोर्टें हमेशा पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होतीं, बल्कि उन्हें तैयार करने में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हित भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार-बार अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उनकी असुरक्षा का मुद्दा उठाया जाता है तो इस शिकायत को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है और यह दावा तभी कायम रह सकता है जब इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुरक्षा और समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर ऐसा महसूस हो कि राज्य सरकारें किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ नफरत की भावना के तहत कार्य कर रही हैं तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है और विश्व स्तर पर भारत की छवि भी धूमिल हो सकती है। अगर भारत सरकार अब भी आरएसएस को सिर्फ एक सामाजिक संगठन करार देकर वैश्विक राय को नजरअंदाज करती है तो यह उचित नहीं होगा। आज के युग में कोई भी देश वैश्विक समुदाय से कटकर अलग-थलग नहीं रह सकता।

इकबाल, जिन्ना और सर सैयद को पाठ्यक्रम से हटाने की सिफारिश

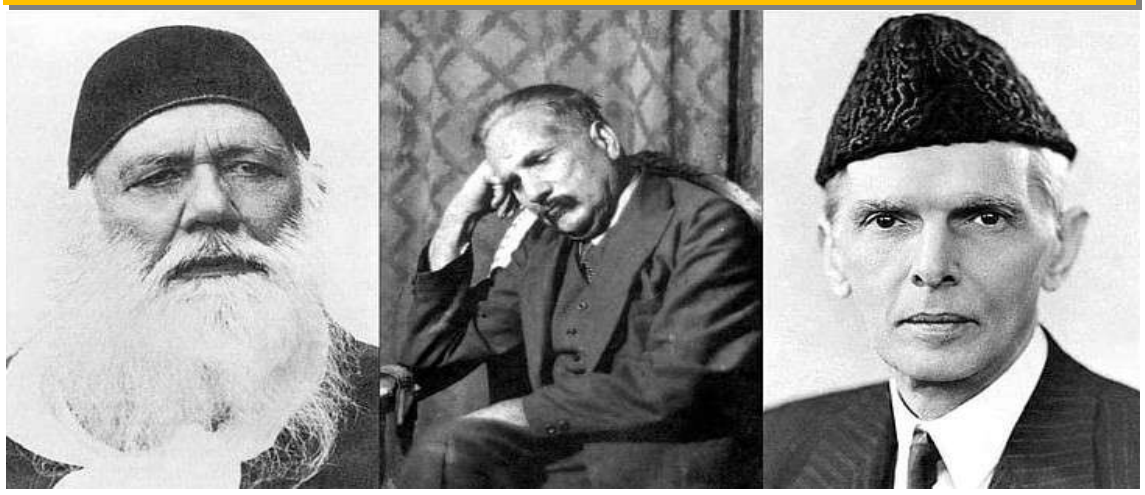

औरंगाबाद टाइम्स (24 मार्च) के अनुसार जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति ने सिफारिश की है कि एमए राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान और पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल से संबंधित सामग्री हटा दी जाए। उल्लेखनीय है कि जम्मू विश्वविद्यालय के एमए राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में 'माइनॉरिटीज एंड द नेशन' नामक अध्याय में जिन्ना के राजनीतिक विचारों को शामिल किया गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए इन अध्यायों को हटाने की मांग की थी। एबीवीपी का तर्क था कि अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय भावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। एबीवीपी के जम्मू-कश्मीर सचिव सन्नक श्रीवत्स ने बताया कि पहले जिन्ना का उल्लेख 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के संदर्भ में होता था, जहां उन्हें विभाजन की सोच से जोड़ा जाता था। अब संशोधित पाठ्यक्रम में उन्हें 'माइनॉरिटीज एंड द नेशन' के तहत अल्पसंख्यकों के नेता के तौर पर पेश किया गया है, जो आपत्तिजनक है।

इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए जम्मू-कश्मीर कांग्रेस की महासचिव नम्रता शर्मा ने कहा कि भाजपा ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना, सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा से जुड़ा यह अध्याय 2025 में तैयार किए गए पाठ्यक्रम के प्रारूप में शामिल था, लेकिन एक साल तक इस पर कोई सवाल नहीं उठा। अब अचानक इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर नहीं है जब जम्मू विश्वविद्यालय का राजनीतिक विज्ञान विभाग विवादों में रहा हो। इससे पहले 2018 में एक प्रोफेसर के वीडियो को लेकर भारी विवाद हुआ था, जिसमें शहीद भगत सिंह को 'आतंकवादी' कहा गया था।

जम्मू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. बलजीत सिंह मान ने बताया कि पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार हेतु 22 मार्च को हुई बैठक में सिफारिश की गई है कि इन तीनों विवादित व्यक्तित्वों से संबंधित सामग्री को एमए के पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि

यह सिफारिश बोर्ड ऑफ स्ट्डीज को विचारार्थ भेज दी गई है, जिसकी बैठक शीघ्र ही होने वाली है। इस बैठक में चर्चा के बाद सामग्री हटाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रो. मान ने स्पष्ट किया कि जिन्ना, सर सैयद और इकबाल को पाठ्यक्रम में सिर्फ उनके सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से शामिल किया गया था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा' से संबंधित अध्यायों में विभिन्न विचारधाराओं के विचारकों को शामिल किया गया है, जिनमें इनमें विनायक दामोदर सावरकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल आदि प्रमुख हैं।

इंकलाब (31 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कट्टरपंथी हिदुत्ववादी शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्र विचारों पर ताले लगा रहे हैं। यह विचारधारा की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की भावना के विरुद्ध है। समाचारपत्र ने हैरानी जताई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एबीवीपी की मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं और इन तीनों विचारकों की विचारधारा को पाठ्यक्रम से खारिज करने की सिफारिश कर दी है। हैरानी की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में आकर मुस्लिम विचारकों के दर्शन से छात्रों को परिचित करवाने तक के लिए तैयार नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि स्वतंत्र विचारधारा पर पहरा लगाकर भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता।

समाचारपत्र ने कहा है कि जम्मू विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ है वह देश में ज्ञान विरोधी मानसिकता और मुसलमानों के खिलाफ भड़काई जा रही नफरत की राजनीति का ही एक हिस्सा है। इससे पहले एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के इतिहास से संबंधित अध्यायों को भी हटा दिया गया था और अब वैसा ही जम्मू विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है। संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि जब बच्चों को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बार-बार यही पढ़ाया जाएगा कि यह देश सिर्फ एक ही धर्म और संस्कृति को मानने वालों की भूमि है और मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक विदेशी हमलावरों के संतानें हैं तो निश्चित रूप से इससे सामाजिक और धार्मिक तनाव की भावना पैदा होगी। यह देश की एकता के लिए हानिकारक है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से वह देश के इतिहास को अपनी विचारधारा के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रही है। संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार का इरादा देश की नई पीढ़ियों को 'कुएं का मेंढक' बनाने का है? शिक्षण संस्थानों में होने वाली संगोष्ठियों का उपयोग भी एक विशेष विचारधारा को प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है। सांप्रदायिक तत्वों की विचारधारा को जनता पर थोपने के लिए सरकारी संस्थानों और जनता के धन का अनुचित उपयोग किया जा रहा है। सरकार सिर्फ उन्हीं संस्थानों और संगठनों को संगोष्ठी आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं।

विश्व

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नाटो छोड़ने की धमकी

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार नाटो गठबंधन के आठ सदस्य देशों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी खत्म करने के लिए अपने युद्धपोत भेजने से इनकार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भड़क गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये देश अमेरिका का साथ नहीं देते तो अमेरिका इस गठबंधन से अलग हो जाएगा। ट्रम्प ने नाटो को 'कागजी शेर' करार देते हुए कहा कि इस गठबंधन का अब कोई लाभ नजर नहीं आता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नाटो देश होर्मुज की नाकेबंदी खुलवाने में अमेरिका के सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनते तो अमेरिका इस गठबंधन से अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा, "जब वे हमारा साथ नहीं दे रहे तो हम उनका साथ क्यों दें?"

ट्रम्प ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने नागरिक जहाजों की सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए एक 'मल्टीनेशनल नेवल स्क्वाड' बनाने का प्रस्ताव दिया था ताकि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सके, लेकिन नाटो देशों के असहयोग के कारण अब यह गठबंधन टूटने के कगार पर है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने सऊदी अरब से 'अब्राहम समझौते' में शामिल होकर इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में पश्चिम एशिया एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। अगर सभी नाटो देश ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में भागीदार बनते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को ईरान के संभावित परमाणु हमले के खतरे से मुक्त रखा जा सकता है। गौरतलब है कि अब तक छह से अधिक अरब देश अब्राहम समझौते का हिस्सा बन चुके हैं।

दूसरी ओर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि ईरान युद्ध की पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अरब देशों से अपील की है कि वे ईरान विरोधी ताकतों को अपनी भूमि का इस्तेमाल न करने दें। पेजेश्कियान ने कहा कि अगर ये देश इस क्षेत्र में शांति व विकास चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका और इजरायल को ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपनी भूमि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

उर्दू टाइम्स (31 मार्च) के अनुसार स्पेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए अपना हवाई

क्षेत्र बंद कर दिया है। इससे पहले स्पेन सरकार ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने कहा है कि यह युद्ध पूरी तरह से गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "हमारा यह दृढ़ फैसला है कि इस युद्ध के लिए अमेरिका को स्पेन की भूमि पर स्थित किसी भी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" इससे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा था कि युद्ध और बमबारी दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

स्पेन के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका अब स्पेन के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नाटो का सदस्य होने के बावजूद स्पेन ने अमेरिका को अपने दो महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डों 'रोटा' और 'मोरन' के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। इसके कारण अमेरिका को इन अड्डों पर तैनात अपने सैन्य विमानों और संसाधनों को मजबूरन अन्य मित्र देशों में स्थानंतरित करना पड़ा है। गौरतलब है कि फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन अपने देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को इस युद्ध में इस्तेमाल करने की अनुमति देने से पहले ही इनकार कर चुके हैं।

इंकलाब (28 मार्च) के अनुसार फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरिन वॉट्रिन ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध फ्रांस की समस्या नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि फ्रांस वहां किसी भी सैन्य कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। कैथरीन ने कहा, "हमारा यह मानना है कि विवादों को सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। यही कारण है कि हमने अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबदी खोलने के लिए फ्रांस वहां अपना कोई भी युद्धपोत नहीं भेजेगा और न ही हमारी सेना इस युद्ध का हिस्सा बनेगी।"

इंकलाब (30 मार्च) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों, इमिग्रेशन नियमों और ईरान पर हमलों के विरोध में अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर आई है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3300 स्थानों पर 'नो किंग्स' नामक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक 80 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस युद्ध को फौरन रोका जाए। न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो ने किया। वियतनाम युद्ध में भाग ले चुके एक पूर्व सैनिक ने कहा कि ट्रम्प ने अमेरिकी जनता की नजर में 'हीरो' बनने की अपनी व्यक्तिगत लालसा के कारण देश को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया है।

'नो किंग्स' प्रदर्शनों के आयोजकों ने दावा किया है कि प्रदर्शनों का यह सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में प्रदर्शनकारियों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच सकती है। दूसरी ओर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें लगभग पूरा

कर लिया गया है। वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की रणनीति का मुख्य उद्देश्य ईरान की सरकार को आर्थिक व सैन्य रूप से इतना कमजोर करना था कि वह भविष्य में इस क्षेत्र के लिए कोई खतरा न बन सके। उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि, अमेरिकी जनता और दुनिया को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मूल्य वृद्धि अस्थाई है।

मुंसिफ (30 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका में हो रहे प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिकी जनता इस युद्ध में भागीदार बनकर अपने देश को तबाही और बर्बादी की ओर धकेलना नहीं चाहती। समाचारपत्र ने कहा है कि ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ जनता में जो आक्रोश बढ़ रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बढ़ते जन दबाव के कारण राष्ट्रपति ट्रम्प को झुकना ही पड़ेगा। 'नो किंग्स' आंदोलन में लगभग एक करोड़ लोगों की भागीदारी इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिकी जनता अब ट्रम्प की विनाशकारी नीतियों से उब चुकी है। ये प्रदर्शन दुनियाभर के लिए एक स्पष्ट संदेश हैं कि जनता की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये विशाल प्रदर्शन इस सच्चाई को भी प्रमाणित करते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र अभी भी जीवित है और वहां 'बादशाहत' या 'तानाशाही' के लिए कोई स्थान नहीं है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (31 मार्च) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की ताकत का जो अनुमान लगाया था, वह पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह आशा थी कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व की हत्या के बाद वह अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ईरानी जनता में जिहाद-ए-इस्लामिया की भावना के कारण ट्रम्प के मंसूबे मिट्टी में मिल गए हैं। अब अमेरिकी जनता ट्रम्प की विनाशकारी नीतियों के प्रति जागरूक हो गई है। वहां एक करोड़ से अधिक लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन से यह साफ है कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की लोकप्रियता का नकाब उतर गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह कल्पना कभी नहीं की होगी कि अमेरिकी जनता उनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रम्प वर्तमान में अमेरिका के सबसे 'घृणित व्यक्ति' बन गए हैं।

एतेमाद (31 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ सभी मंसूबे धूल में मिल गए हैं। अरब के मुस्लिम देशों के असहयोग के बावजूद ईरान एक महीने से अमेरिका और इजरायल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका ने ईरान की परमाणु ऊर्जा नीति की कमर तोड़ने का जो मंसूबा बनाया था, वह विफल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के शीर्ष नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की रक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं हुई है। इसके विपरीत हूती, हिजबुल्लाह और हमास समेत अन्य आतंकवादी संगठनों ने सऊदी अरब, लेबनान और इराक में अमेरिका की नाक में दम कर दिया है।

देखते हुए अमेरिका और इजरायल के समर्थक देशों ने भी उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इतिहास साक्षी है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध 'दो जिस्म एक जान' की तरह रहा है। लंदन ने हमेशा वाशिंगटन की हर विदेश नीति का समर्थन किया है, लेकिन ईरान के हौसलों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को यह दो टूक घोषणा करनी पड़ी कि "ईरान का युद्ध हमारा युद्ध नहीं है।" अजीब बात है कि फ्रांस और स्पेन के साथ-साथ दुनिया के एक दर्जन देशों ने अमेरिका का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। कभी यूरोप की इन बड़ी ताकतों ने ही इजरायल की नींव रखी थी, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। अब दुनिया में अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी अकेला खड़ा नजर आ रहा है।

ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य शक्ति का गलत अंदाजा लगाया था।

उर्दू टाइम्स (30 मार्च) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि अरब देशों के असहयोग के बावजूद ईरान जिस शक्ति से अमेरिकी और इजरायली हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उस पर दुनिया के मुसलमानों को गर्व करना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने 31 मार्च के संपादकीय में कहा है कि ईरान जिस बहादुरी से अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब दे रहा है, उसे

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर छिड़ी जंग

उर्दू टाइम्स (27 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब, कतर और तुर्किये के प्रयास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अस्थाई युद्धविराम हुआ था, वह अब पूरी तरह विफल हो गया है। ईद खत्म होते ही दोनों देशों के बीच फिर से जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति विभाग के प्रवक्ता जिया-उर-रहमान स्पिंघार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान हवाई सीमा का उल्लंघन कर अफगान नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर पिछले तीन दिनों में पांच बार हवाई हमले किए हैं, जिनमें एक दर्जन से अधिक अफगान नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़पों में तीन दर्जन से अधिक सैनिक मारे गए हैं।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपनी चौकियां स्थापित कर ली हैं। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी

हमलों के कारण अफगान सेना 20 सीमावर्ती चौकियों से पीछे हट गई है, जिन पर अब पाकिस्तान का नियंत्रण है।

अवधनामा (28 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के अधिवेशन के अवसर पर जिनेवा में अफगान नागरिकों के संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अनेक वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की हवाई सीमा का लगातार उल्लंघन करके अफगान नगरों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में 500 से अधिक अफगान नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी वायु सेना ने अस्पतालों और आम नागरिकों को भी निशाना बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एटोनियो गुटेरेस को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जाए कि वह अफगानिस्तान पर अपने हमलों को फौरन बंद करे।

औरंगाबाद टाइम्स (29 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सेना ने अस्थाई युद्धविराम को भंग करके अफगानिस्तान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों और हथियारों के भंडारों को अपना निशाना बना रही है। प्रवक्ता ने कहा, "हमारी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। अब हम अफगानिस्तान के भीतर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की मौजूदगी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।" दूसरी ओर, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सेना के तोपखाने ने पूर्वी अफगानिस्तान में अनेक स्थानों पर गोले बरसाए हैं। इन हमलों में आम नागरिक भी मारे गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

सियासत (30 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी ने कहा है कि अफगानिस्तान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थक है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर

पाकिस्तानी हमलों के बारे में विस्तार से बातचीत की है। मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान का यह आरोप पूरी तरह निराधार है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर किए जा रहे अपने अवैध हमलों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि पकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की जो ज्वाला भड़क रही है, वह दोनों देशों के हित में नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए विवादों का समाधान तलाशना चाहिए।

जर्मनी में हमास के चार आतंकवादियों को सजा

चट्टान (27 मार्च) के अनुसार बर्लिन की एक अदालत ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के चार आतंकवादियों को अवैध रूप से हथियार खरीदने और भविष्य में हमलों की साजिश के लिए उन्हें जमा करने के आरोप में छह-छह साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत के अनुसार ये चारों आतंकवादी अरब मूल के हैं। उन्हें पोलैंड, बुल्गारिया और डेनमार्क समेत कई देशों से हथियार इकट्ठा करने के आरोप में यह सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि यूरोपीय यूनियन ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इन चारों आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने ये हथियार पोलैंड, बुल्गारिया और डेनमार्क से खरीदकर जर्मनी में जमा किए थे। उनका इरादा यहूदियों और इजरायल को निशाना बनाना था। जर्मन पुलिस के अनुसार इन्होंने बर्लिन में स्थित इजरायली दूतावास पर हमले की योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त वे जर्मनी में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करना चाहते थे। उनकी योजना जर्मनी में तीन यहूदी उपासना स्थलों को भी निशाना बनाने की थी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी के अनुसार इन चारों आरोपियों को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो लेबनानी और एक मिस्री नागरिक है, जबकि चौथा नीदरलैंड का निवासी है, जो मूल रूप से तुर्किये का रहने वाला है।

सरकारी वकील ने इन सभी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी और दलील दी थी कि इन आतंकवादियों की यहूदियों की सामूहिक हत्या करने की योजना थी। हालांकि, अदालत ने उम्रकैद के अनुरोध को स्वीकार न करते हुए उन्हें छह-छह साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि खुफिया एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि इन चारों का संबंध हमास से था और वे जर्मनी में अमेरिकी और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हिंसा फैलाना चाहते थे। अदालत ने यह भी माना कि इन आतंकवादियों ने जर्मनी में सक्रिय कुछ इस्लामी अतिवादी संगठनों से हथियार खरीदने के लिए धनराशि एकत्र की थी।

दक्षिण अफ्रीका में मस्जिद के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी

उर्दू टाइम्स (17 मार्च) के अनुसार आठ अज्ञात हमलावरों ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित एक मस्जिद के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था। हालांकि, पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि हमलावरों का संबंध किस आतंकवादी संगठन से था। उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर वारदात के बाद घटनास्थल से पैदल ही भागने में सफल रहे। स्थानीय पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस मामले में पुलिस को कोई भी जानकारी देने से परहेज न करें। इस हमले के बाद इस क्षेत्र में साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस फोर्स का गठन आतंकवाद के उन्मूलन हेतु किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा की एक विशेष ईकाई के रूप में कार्य करती है।

गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी इलाके की एक मस्जिद के बाहर नौ लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीकी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने संदेह व्यक्त किया है कि अफ्रीकी देशों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जो हिंसक गतिविधियां बढ़ रही हैं, यह घटना भी उसी कड़ी का हिस्सा हो सकती है।

अजरबैजान और पाकिस्तान की मिसाइल परियोजना की जासूसी पर सजा

चट्टान (18 मार्च) के अनुसार अजरबैजान की एक अदालत ने फ्रांसीसी नागरिक मार्टिन रयान को जासूसी के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। रयान पर आरोप है कि उन्होंने चीन के सहयोग से पाकिस्तान द्वारा अजरबैजान में स्थापित किए जा रहे मिसाइल संयंत्र की गोपनीय जानकारी जुटाई थी। इस घटना से फ्रांस और अजरबैजान के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि फ्रांस द्वारा अजरबैजान के प्रतिद्वंद्वी देश आर्मेनिया की ईसाई सरकार का समर्थन करने के कारण दोनों देशों के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस फ्रांसीसी नागरिक ने तुर्किये, ईरान और पाकिस्तान के साथ अजरबैजान के सैन्य समझौतों की गुप्त जानकारी प्राप्त की थी। इस मामले में अजरबैजान के एक मुस्लिम नागरिक आजाद मामेदली को भी दोषी पाया गया है, जिसे देशद्रोह के लिए 12 साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि रयान ने मामेदली को भारी धनराशि देकर

अजरबैजान में सक्रिय पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने और चीन के सहयोग से निर्मित हो रही मिसाइल फैक्ट्री का गोपनीय विवरण जुटाने का कार्य सौंपा था।

गौरतलब है कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और उसे बड़ी संख्या में ड्रोन उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया।

दूसरी ओर, फ्रांस सरकार ने स्पष्ट किया है कि मार्टिन रयान का फ्रांसीसी खुफिया विभाग से कोई संबंध नहीं है और वह एक ब्रिटिश नागरिक है। फ्रांस ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि वह फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों में इस्लामिक आतंकवाद का प्रचार कर रहा है और उन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। इस संबंध में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के बीच तीखी फोन वार्ता भी हुई है, जिसमें मैक्रों ने अजरबैजान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की धमकी दी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार रूस ने मास्को स्थित ब्रिटिश दूतावास के एक राजनयिक को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित कर उन्हें दो सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) के अनुसार ब्रिटिश दूतावास के सेकंड सेक्रेटरी अल्बर्टस गेरहार्डस जैन्से वैन रेंसबर्ग ने अपनी पहचान के बारे में गलत जानकारी दी थी। जांच में पाया गया कि वे रूस में तुर्किये की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को दे रहे थे। रूस का दावा है कि तुर्किये की सरकार ने उसे इस जासूसी कांड की जानकारी दी थी। रूसी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन जानबूझकर अपने राजनयिकों के रूप में जासूसों की नियुक्ति कर रहा है। रूस इस संबंध में पहले भी तीन बार विरोध दर्ज करा चुका है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर बड़े हमले की तैयारी

एक ओर तो अमेरिका पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के माध्यम से ईरान के साथ वार्ता शुरू करने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सियासत (28 मार्च) के अनुसार अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए ईरान ने अपने 10 लाख से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके अतिरिक्त ईरान ने अपने परमाणु अड्डों की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए हैं।

उर्दू टाइम्स (3 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने धमकी दी है कि "हम अगले दो तीन हफ्तों में ईरान पर तेज हमले शुरू कर देंगे।" उन्होंने यह स्वीकार किया कि नाटो देशों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी को हटाया नहीं जा सका है। इसके कारण विश्वभर में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।

एतेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके अतिरिक्त दो अन्य जनरलों को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। लगभग 30 वरिष्ठ सेनापतियों की पदोन्नति अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है। इनमें थल, नौ और वायु सेना के अतिरिक्त, मरीन के सेनापति भी शामिल हैं। जनरल जॉर्ज के अतिरिक्त जिन उच्च सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनमें मेजर जनरल विलियम ग्रीन और जनरल डेविड होडने शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को भी उनके पद से हटा दिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिका के दो खुफिया संगठनों सीआईए और एफबीआई के कई वरिष्ठ अधिकारियों के भी बर्खास्त किए जाने की चर्चा है। उन्होंने यह घोषणा की है कि अभी और भी अमेरिकी सैन्य अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह फैसला अमेरिकी सेना को और अधिक कारगर व आक्रामक बनाने के लिए किया है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है।

हालांकि, इसके बावजूद ईरान ने दो अत्याधुनिक अमेरिकी विमानों को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी दावों के अनुसार हालिया हमलों में ईरान के कई स्टील प्लांट, सैन्य ठिकाने और तेहरान के पास स्थित एक महत्त्वपूर्ण पुल को तबाह कर दिया गया है। दूसरी ओर, ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में पड़ोसी देशों के आठ महत्त्वपूर्ण पुलों को नष्ट करने की धमकी दी है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में अब तक 2076 ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं और लगभग 30 हजार लोग घायल हुए हैं।

ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि "हम किसी भी अमेरिकी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने इस क्षेत्र में स्थित सभी अमेरिकी रणनीतिक रडार प्रणालियों और युद्धपोतों को तबाह कर दिया है। इसके अतिरिक्त इजरायल के 50 स्थानों को मिसाइलों से निशाना बनाया है।" दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे, पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी दी है।

औरंगाबाद टाइम्स (4 अप्रैल) के अनुसार ईरान सरकार ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति तबाह किए गए अमेरिकी विमानों के पायलटों को पकड़कर ईरानी प्रशासन के हवाले करेगा उसे 60 हजार डॉलर का ईनाम दिया जाएगा। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने दो विमान चालकों में से एक को बचा लिया है और दूसरे की तलाश जारी है। ईरान के खातम अल-अंबिया सैन्य मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका के दोनों विमानों को गिराने में आईआरजीसी के अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली की विशेष भूमिका रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (29 मार्च) के अनुसार ईरान के खिलाफ युद्ध में लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के बाद अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद उभरकर सामने आए हैं। इसके लिए दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। बताया जाता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि अयातुल्ला खामेनेई समेत ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद ईरान में विद्रोह हो जाएगा। इस दावे की पुष्टि अमेरिकी खुफिया विभाग ने भी की थी।

एतेमाद (30 मार्च) के अनुसार अमेरिका ने जमीनी कार्रवाई के लिए अपने 3500 सैनिकों को ईरान रवाना कर दिया है। इसके अतिरिक्त ईरान के समुद्री क्षेत्र के समीप तीन नए युद्धपोत भी भेज दिए गए हैं।

उर्दू टाइम्स (26 मार्च) के अनुसार ईरान के खिलाफ हालिया युद्ध में अमेरिकी नौसेना को भारी झटका लगा है। इसके 11 विमानवाहक पोतों में से सिर्फ पांच ही ठीक ढंग से काम रहे हैं, जबकि शेष ईरानी मिसाइल हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (21 मार्च) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर 2200 अमेरिकी सैनिकों को ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए भेजा गया है। जो विमानवाहक पोत ईरान की ओर रवाना हुए हैं उनमें यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस न्यू ऑरलियन्स शामिल हैं। ये तीनों जहाज 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। अभी तक ये

जहाज हिंद महासागर में थे, जिन्हें अब ईरान की ओर रवाना कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (29 मार्च) के अनुसार ईरान ने सऊदी अरब में स्थित सबसे प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 300 से अधिक घायल हुए हैं। ईरानी सूत्रों के अनुसार इस हमले में एडब्ल्यूएसीएस केंद्र को तबाह कर दिया गया है और ईंधन भरवा रहे 22 अमेरिकी विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

हमारा समाज (23 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब ने ईरान से राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है और रियाद स्थित ईरानी दूतावास के सभी कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय ईरान द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे हमलों के कारण लिया गया है।

सियासत (30 मार्च) के अनुसार एक दर्जन इस्लामी देशों ने ईरान से अपील की है कि वह पड़ोसी अरब देशों पर हमलों का सिलसिला तुरंत बंद करे। इसके अतिरिक्त ईरान विभिन्न अरब देशों में सक्रिय अपने मिलिशिया संगठनों को आर्थिक, सैन्य सहायता और हथियारों की आपूर्ति फौरन बंद करे। इन देशों ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह को अपनी सैन्य गतिविधियां तुरंत रोकने का निर्देश दे।

एतेमाद (25 मार्च) के अनुसार ईरान सरकार ने मोहम्मद बाकिर जोलकद्र को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया है। उन्हें अली लारीजानी के स्थान पर लाया गया है। बीते दिनों इजरायली हमले में अली लारीजानी की मृत्यु हो गई थी। दूसरी ओर, लेबनान ने भी बेरूत स्थित ईरानी राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया है और ईरानी दूतावास को बंद करने की घोषणा की है।

इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा

सियासत (1 अप्रैल) के अनुसार इजरायली संसद (नेसेट) ने फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने से जुड़ा एक विवादास्पद कानून पारित किया है। इस कानून के पक्ष में 62 और विपक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि एक सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। इजरायल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने इस विधेयक को सदन में पेश किया था। इस कानून में प्रावधान है कि जो लोग इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमलों के दोषी पाए जाएंगे उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पहले ही इस मसौदे को स्वीकृति दे चुकी थी। इस कानून के खिलाफ दर्ज सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। इजरायल के विपक्षी दलों ने इस नए कानून को अलोकतांत्रिक करार दिया है।

नए नियमों के अनुसार वेस्ट बैंक और इजरायल के आंतरिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं लागू होंगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों

में सैन्य अदालतों को उम्रकैद की सजा देने का अधिकार भी दिया गया है। इस कानून की सबसे कड़ी शर्त यह है कि निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी और दोषियों को सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर फांसी दे दी जाएगी।

उर्दू टाइम्स (1 अप्रैल) के अनुसार यह कानून मुख्य रूप से फिलिस्तीनी मूल के कैदियों पर ही लागू होगा, जबकि यहूदियों को इससे बाहर रखा गया है। इस कानून के तहत इजरायली नागरिकों की हत्या करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी देने की व्यवस्था की गई है। कानून के मुताबिक वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा अनिवार्य होगी, जबकि इजरायली अदालतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यहूदी नागरिकों पर इसे लागू न करें। वर्तमान में इजरायली सैनिकों और नागरिकों की हत्या के आरोप में जेलों में बंद कैदियों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कानून के पारित होने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, जबकि इजरायली सांसद लिमोर सोन हार-मेलेक ने इस कानून के पारित होने पर खुशी जाहिर की है। उल्लेखनीय है कि 2003 में फिलिस्तीनियों ने लिमोर के पति की हत्या कर दी थी। यह कानून 30 दिनों के भीतर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस विधेयक पारित होते ही 'एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजरायल' ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला लिया है। इस कानून में दोषियों को माफी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के विरुद्ध माना जा रहा है।

एतेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार यमन के अंसारुल्लाह (हूती समूह) के प्रमुख अब्दुल मलिक अल-हूती ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि "यह कानून भयानक है, लेकिन इससे हमारे जिहाद के हौसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम यहूदियों और अमेरिकियों के खिलाफ अपना अभियान लगतार जारी रखेंगे।"

उर्दू टाइम्स (26 मार्च) के अनुसार हमास ने इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक 'आतंकवादी कदम' करार दिया है। हमास ने दावा किया है कि "इस कानून के पारित होने के बाद इजरायल को जेलों में बंद हमारे बहादुरों को मौत के घाट उतारने का एक कानूनी लाइसेंस मिल गया है। हमारी फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वालों को इस कानून के परिणाम भुगतने होंगे।" हमास ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मांग की है कि वे इस कानून को रद्द कराने के लिए इजरायल पर दबाव डालें।

सियासत (31 मार्च) के अनुसार यूरोप के चार बड़े देशों- फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने इजरायल के इस कानून पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इजरायल इस कानून की आड़ में फिलिस्तीनियों के अधिकारों को मौत की सजा के भय से कुचलना चाहता है। काउंसिल ऑफ यूरोप ने इजरायल से मांग की है कि इस 'काले कानून' को तत्काल रद्द किया जाए।

मस्जिद अल–अक्सा 35 दिनों से बंद

इंकलाब (4 अप्रैल) के अनुसार इस्लामी इतिहास में पहली बार मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल-अक्सा में पिछले 35 दिनों से नमाज अदा नहीं की जा सकी है। इजरायली सेना ने भारी संख्या में मस्जिद की नाकेबंदी कर रखी है और वे किसी भी नमाजी को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। इजरायली सेना ने मस्जिद के खतीब शेख अली जवाहरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अरब मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने मस्जिद के भीतर दाखिल होने का प्रयास करने वाले 500 से अधिक नमाजियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया है। मस्जिद के बंद होने के कारण सैकड़ों लोगों ने ईद और जुमे की नमाज अल-अक्सा के पास की सड़कों पर अदा की। इजरायली सेना ने मस्जिद अल-अक्सा में अजान देने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है।

एतेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार इस वर्ष के पहले तीन महीनों में मस्जिद अल-अक्सा पर लगाए गए प्रतिबंधों में भारी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान 9373 फिलिस्तीनियों ने मस्जिद में घुसने का प्रयास किया, जबकि 16500 लोगों ने पर्यटक के रूप में मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे इजरायली सैनिकों ने विफल कर दिया और उन सभी को हिरासत में ले लिया। यही कारण है कि इस बार मस्जिद में ईद के अवसर पर कुर्बानी करने की भी अनुमति नहीं दी गई। इजरायल ने 28 फरवरी 2026 से इस मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर रखा है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस दौरान इजरायली सेना ने 419 महिलाओं व बच्चों को गिरफ्तार किया और उनके मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़पों में 106 व्यक्ति घायल हुए हैं। ये झड़पें मुख्य रूप से कलंदिया कैंप और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई। फिलिस्तीनियों ने 153 बार इजरायली सेना पर हमले किए, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए सेना ने गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अप्रैल) के अनुसार दुनिया के आठ प्रमुख इस्लामी देशों- पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और कतर ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर इजरायल द्वारा मस्जिद अल-अक्सा को बंद करने की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि "इजरायली सेना ईसाइयों को 'होली चर्च' तक जाने की अनुमति भी नहीं दे रही है, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद अल-अक्सा के दरवाजों को बंद रखना दुनियाभर के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस्लामी जगत बैतुल मुकद्दस और वहां स्थित पवित्र स्थलों की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति बदलने के किसी भी इजरायली प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। जॉर्डन का वक्फ विभाग ही कानूनी तौर पर मस्जिद अल-अक्सा का संरक्षक है और इजरायल को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।" इन आठों इस्लामी देशों ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि मुसलमान मस्जिद अल-अक्सा में पुनः नमाज अदा कर सकें।

इजरायल पर हूतियों का बड़ा हमला

हिंदुस्तान (29 मार्च) के अनुसार इजरायली सेना (आईडीएफ) ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया है। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह हमला मुख्य रूप से दक्षिणी इजरायल को लक्ष्य बनाकर किया गया था। सरकारी तौर पर इस हमले में हुए नुकसान के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। अरब मीडिया के अनुसार दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले में दो लेबनानी पत्रकारों सहित छह अन्य लोग मारे गए हैं।

अवधनामा (29 मार्च) के अनुसार हूती प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले जारी रहे तो वे इस क्षेत्र में स्थित उनके सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हूती विद्रोही इस युद्ध पूरी तरह शामिल होते हैं तो संघर्ष का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वे यमन से सऊदी अरब और इजरायल दोनों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने भी लाल सागर में जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध कड़े करने की धमकी दी है।

इसके अतिरिक्त इराक स्थित ईरान-समर्थित 'इस्लामिक रेजिस्टेंस' ने भी घोषणा की है कि वह इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस घोषणा के बाद बगदाद में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से चार हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इराक सरकार से इन समूहों पर सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और चेतावनी दी है कि अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचने पर इराक सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। इन हमलों के जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने इराक और सीरिया में 'इस्लामिक रेजिस्टेंस' के ठिकानों, प्रशिक्षण शिविरों और गोला-बारूद के भंडारों पर हवाई हमले किए। सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन जवाबी हमलों में इस समूह के कम-से-कम 10 ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने ईरान, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर होने वाले इजरायली व अमेरिकी हमलों के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर दिया है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अल जजीरा को बताया कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उनके निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते और सभी मोर्चों पर इजरायली व अमेरिकी आक्रामकता का खात्मा नहीं हो जाता। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी मारक क्षमता तीन हजार किलोमीटर तक है और उनके हमलों से डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा भी नहीं बच पाएगा।

गौरतलब है कि हूती विद्रोही 2014 से यमन के उत्तरी क्षेत्रों और राजधानी साना पर काबिज हैं। वे इजरायल-ईरान युद्ध में अब तक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के बजाय सीमित हमले कर रहे थे, लेकिन उनके इन हालिया हमलों से लाल सागर में युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने का खतरा बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि लाल सागर के रास्ते से सालाना लगभग एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। हूती हमलों के कारण पहले ही इस मार्ग से जहाजों का आवागमन प्रभावित हुआ है और मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले लंबे रास्ते से चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है।

कौमी तंजीम (26 मार्च) के अनुसार इराक के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अनबार प्रांत में स्थित अल-हब्बानिया सैन्य अड्डे पर हुए एक हमले में सात अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 13 घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें राहत कार्यों में लगे अमेरिकी कर्मचारियों, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को निशाना बनाया है। इससे पहले एक अन्य सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 15 सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि यह हमला ईरान-समर्थित मिलिशिया संगठन अल-हशद अल-शाबी ने किया था।

अमेरिकी राजदूत का श्रीलंका दौरा

उर्दू टाइम्स (24 मार्च) के अनुसार भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर अचानक श्रीलंका पहुंचे। इसके बाद वे मालदीव का भी दौरा करेंगे। राजदूत गोर इन दोनों देशों का दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए खतरा बढ़ गया है। अमेरिका का प्रयास है कि श्रीलंका और मालदीव में ईरान के बढ़ते प्रभाव

का मुकाबला करने के लिए भविष्य की ठोस रणनीति तैयार की जाए। उनके इस दौरे को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजनयिक संकेत माना जा रहा है। श्रीलंका रवाना होने से पहले अमेरिकी राजदूत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ भी लंबी चर्चा की थी।

गौरतलब है कि मार्च 2026 की शुरुआत में भारत में आयोजित मिलन-2026 नौसैनिक अभ्यास से लौट रहे ईरानी युद्धपोत 'आईरिस डेना' को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में निशाना बनाया था। इस हमले में 87 से अधिक ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, जबकि कई अन्य लापता हो गए थे। आपातकालीन कॉल मिलने पर श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने तत्काल बचाव अभियान चलाया और 30 से अधिक घायल ईरानी नौसैनिकों को डूबने से बचा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने श्रीलंका पर दबाव बनाया था कि वह जीवित बचे सैनिकों और मारे गए नौसैनिकों के शवों को ईरान को न सौंपे। हालांकि, श्रीलंका सरकार ने अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका के इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

उर्दू टाइम्स (23 मार्च) के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद को सूचित किया कि श्रीलंका सरकार ने मट्टाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति मांगने वाले दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले जिबूती स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे से कुछ विमानों को श्रीलंका के हवाई अड्डों पर उतारने का अनुरोध भी किया गया था, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि श्रीलंका वर्तमान पश्चिम एशिया युद्ध में पूरी तरह तटस्थ है और वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इस घोषणा के अगले ही दिन अमेरिकी राजदूत गोर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस बैठक में समुद्री रास्तों की सुरक्षा, बंदरगाहों के संरक्षण और साझा हितों के अन्य सामरिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

समाचारपत्र के अनुसार भारत सरकार अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। अमेरिकी राजदूत ने पिछले सप्ताह भूटान का भी दौरा किया था। श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्होंने कोलंबो बंदरगाह, नौसैनिक बेस और प्रमुख सैन्य अड्डों का निरीक्षण किया। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

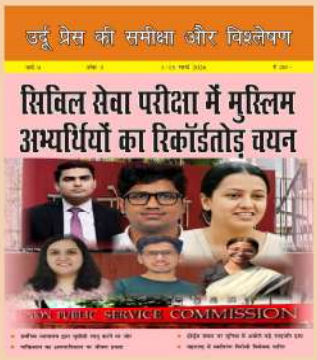

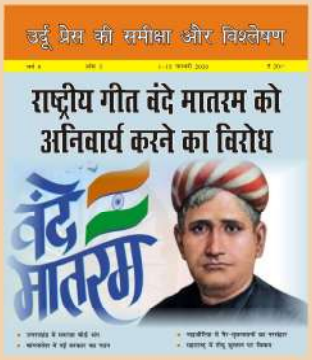

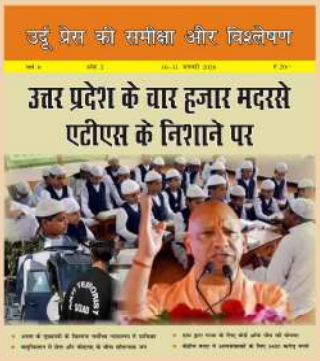

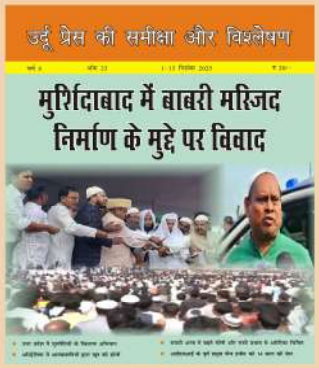

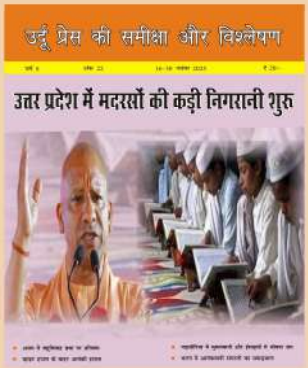

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in